

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ०प्र० झांसी
पत्रांक- ७३७ / ३३-१ / दिनांक, झांसी, अगस्त २३ २०१७

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
(वन संरक्षण अधिनियम)
उ०प्र० लखनऊ।

विषय— जिला मुख्यालय को चार-लेन से जोड़ने की योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में जनपद जालौन में विलराया-पनवाडी राज्य राजमार्ग सं०-२१ के कि०मी० चैनेज ३१८.०० से ३५२.०० तक (जालौन से औरैया) ४ लेन निर्माण में प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि ४२.६०३०१ हे० एवं मार्ग पटरियों पर खड़े प्रभावित २६८६ वृक्षों की वन संरक्षण अधिनियम १९८० के अन्तर्गत अनुमति/स्वीकृति के सम्बन्ध में।

संदर्भ— भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ पत्रांक ८ बी/यू०पी०/०९/४२/२०१७/एफ०सी०/५९ दिनांक २८.०७.२०१७ एवं आपका कार्यालय पत्रांक ३३६/११-सी-एफ०पी०/यू०पी०/रोड/२३६९३ दिनांक ०४.०८.२०१७।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निर्धारित प्रारूप में निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव तीन प्रतियों में प्रभागीय वनाधिकारी उरई द्वारा पत्रांक ६२८/३३-१ दिनांक २२.०८.२०१७ द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः उपर्युक्त विषयक संशोधित प्रस्ताव तीन प्रतियों में निर्धारित प्रारूप में निराकरण सहित संलग्न कर अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक— १ संशोधित प्रस्ताव ३ प्रतियों में
२. प्रभागीय वनाधिकारी, उरई के संदर्भित पत्र की प्रति।

भवदीय

(अशोक कुमार)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

पृष्ठांकन संख्या— /समदिनांक।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. प्रभागीय वनाधिकारी, उरई।
२. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड ३ लो० नि० विभाग उरई जिला जालौन को इस आशय से प्रेषित कि आप किसी अवर/सहायक अभियन्ता को इस कार्यालय से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त कर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० १७ राणाप्रताप मार्ग लखनऊ के कार्यालय में प्रस्तुत कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

(अशोक कुमार)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

कार्यालय उप वन संरक्षक, जालौन सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उरई।

पत्रांक - 628 / 33-1 / उरई, दिनांक अगस्त 22 2017।

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्देलखण्ड वृत्त उ०प्र० झांसी।

जिला मुख्यालय को चार लेन से जोड़ने की योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद जालौन में विलयायां -पनवाडी राज्य राजमार्ग सं०-21) के कि०मी० चैनैज 318.00 से 352.00 तक (जालौन से औरइया) 4 लेन निर्माण में प्रस्तावित संरक्षित वनभूमि 42.60301 हे० एवं मार्ग पटरियों पर खड़े प्रभावित 2686 वृक्षों की वन (संरक्षण) अधि० 1980 के अन्तर्गत अनुमति/स्वीकृति के संबंध में।

संदर्भ :- Proposal No. FP/UP/ROAD/23693/2017 Date 20.01.2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रश्नगत प्रस्ताव भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं० 8वीं/यूपी/०९/४२/२०१७ ५९ दिनांक 28.07.2017 द्वारा आपत्तियां क्रमांक 1 से 7 तक इंगित कमियों का बिन्दुवार निस्तारण निम्नवत है:-

Observe No.	Observation of GOI	Reply
1	Information at A3 (xvii) regarding person making application on behalf of user agency is incomplete as the name and signature of authorised person has not been authenticated.	user agency is complete as the name and signature of authorised person has been authenticated.
2	Geo coordianates of all key points of proposed forest land diversion need submission .	Geo coordianates of all key points of proposed forest land diversion has been submitted
3	Information regarding working plan prescription at serial no 5 part II is incorrect.	Information regarding working plan prescription at serial no 5 part II has been correct.
4	Various documents of the proposal are without name and date of the signing authority.	Various documents of the proposal has been submitted with name and date of the signing authority.
5	Site inpection report of the concerned CF is not enclosed whereas the proposal is of diversion > 40 ha.	Site inpection report of the concerned CF Has been submitted.
6	Certificate regarding "Van swaroop" land has not been provided with the proposal.	Certificate regarding "Van swaroop" land has been provided with the proposal.
7	A brief profile of the proposal covering different aspects shall also be submitted by the user agency.	A brief profile of the proposal covering different aspects has been submitted by the user agency.

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,
जालौन सा०वा०, वन प्रभाग उरई।

प्र०सं०- / समदिनांक।

प्रतिलिपि- अधिशाषी अभियन्ता निर्माण खण्ड 3 लो०नि०वि० उरई को इस आशय से प्रेषित कि वन संरक्षक बुन्देलखण्ड वृत्त झांसी के कार्यालय से सम्पर्क कर अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

प्रभागीय वनाधिकारी,
जालौन सा०वा०, वन प्रभाग उरई।